P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सामाजिक हिंसा और उत्पीड़न : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

रमोद कुमार मौर्य
वरिष्ठ प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अदलहाट,मिर्जापुर

सारांश

स्वाभवतः मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने जन्म, पालन–पोषण, सुरक्षा, शिक्षा और अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरों की सहायता और सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए परिवार को सामाजिक संगठन का मूल आधार माना जाता है। परिवार का आन्तरिक विन्यास सदस्यों के रिश्तों एवं व्यवहारों से संरचित होता है। किन्तु निहित हितों एवं असमंजसकारी व्यवहारों से पारिवारिक सदस्यों से अन्तर्सम्बन्धों में सामंजस्य कम हो जाता है।

मुख्य शब्द : सामाजिक हिंसा, पालन–पोषण, सामाजिक प्राणी

प्रस्तावना

स्वाभवतः मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने जन्म, पालन–पोषण, सुरक्षा, शिक्षा और अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरों की सहायता और सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए परिवार को सामाजिक संगठन का मूल आधार माना जाता है। परिवार का आन्तरिक विन्यास सदस्यों के रिश्तों एवं व्यवहारों से संरचित होता है। किन्तु निहित हितों एवं असमंजसकारी व्यवहारों से पारिवारिक सदस्यों से अन्तर्सम्बन्धों में सामंजस्य कम हो जाता है। एकाकी क्रियाएं एवं व्यवहार दूसरें को आहत करती है। पारिवारिक सहयोग एवं समायोजन को हिंसा विदीर्ण कर देती है।

किसी परिवार के स्वजनों के मध्य किसी हित या व्यवहार को लेकर जब बल, हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो उसे घरेलू हिंसा के अर्न्तगत रखा गया है। इस अध्ययन में हमनें हिंसा में एक ही परिवार के सदस्य स्वजनों के मध्य उस व्यवहार को सम्मिलित किया है, जिसकी औपचारिक सामाजिक निन्दा की जाती हो या जो नियमाचारी समूहों के व्यवहार सम्बन्धी मानदण्डों से विचलन हो।

हिंसाग्रस्त स्वजन युग्म में दोनों अथवा एक पक्ष का अन्य के प्रति व्यवहार हिंसक, उग्र विवाद, कलहपूर्ण, शीतयुद्व एवं अशिष्ट में से कोई भी हो सकता है। यह एक पारिवारिक घटना है।

सामाजिक वैज्ञानिक गिडिन्स का यह मानना है कि हिंसा की दृष्टि से घर सर्वाधिक खतरनाक स्थान है, सांख्यिकीय दृष्टि से किसी भी आयु एवं यौन के व्यक्ति पर सड़को की तुलना में घर में शारीरिक प्रताड़ना की आवृत्ति अधिक होती है।

संसार भर के समाजवैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि घरेलू हिंसा बच्चों के विरूद्व होती है, तत्पश्चात स्त्रियों तथा यदा–कदा पुरूषों के विरूद्व, लेकिन समकालीन समाज में पुरूषों के विरूद्व हिंसा में वृद्वि होती है।

हिंसात्मक व्यवहार की विभिन्न विचारधाराओं का परीक्षण कर राम अहूजा ने तीन सैद्धान्तिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है– पहला मनोविकार निदान सम्प्रदाय (जो शीर्षक एवं शोषित के व्यक्तित्व के गुणों पर प्रकाश डालता है),दूसरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय (जो व्यक्ति के दैनिक क्रियाकलापों पर वावय कारकों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है) इसमें कुण्ठा आक्रमकता सिद्धांत, विपर्यास सिद्वांत, स्व–आवृति सिद्धांत, उत्तेजना सिद्धांत, अभिप्राय गुणारोपण सिद्धांत और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक या समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय (जो व्यक्ति पर सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था के दबाव पर प्रकाश डालता है) इसमें हिंसा की उप संस्कृति का सिद्धांत, आदर्शशून्यता सिद्धांत, संसाधन सिद्धांत और सीखने का सामाजिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य मे यदि भारतीय समाज में घरेलू हिंसा का अध्ययन करना है तो राम अहूजा का मानना है कि ' किसी व्यक्ति के विरूद्ध हिंसा आवश्यक रूप से किसी के द्वारा और किसी के विरूद्ध है। व्यक्ति द्वारा की जाने वाली हिंसा में इसकी उत्पत्ति

एवं स्वरूप व्यक्ति के स्वयं में तथा उसके चारों ओर की स्थिति में निर्धारित किये जाने चाहिए। इस विचार में न केवल व्यक्ति का जन्मजात व्यवहार बल्कि उसके अर्जित व्यवहार को भी देखना होगा। राम अहूजा का 'सामाजिक बन्धन दृष्टिकोण' दोनों प्रकार के व्यवहार की तथा सामाजिक संरचनात्मक दशाओं की समीक्षा करता है।

प्रस्तुत शोध एक आनुभाविक शोध अध्ययन है। इस अध्ययन की प्रेरणा वर्तमान में पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, टेलीविजन के विभिन्न चैनेलों से आज परिवार में हिंसा की बढ़ रही प्रवृत्तियों को देखकर मिली। पहले बच्चें, पत्नी और वृद्ध माता–पिता घरेलू हिंसा का शिकार बनते थे, लेकिन वर्तमान में आत्मीय स्वजन के विभिन्न सम्बन्धों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती दिखायी पड़ रही है। इस बढ़ती प्रवृत्ति का अध्ययन करने की जिज्ञासा उस उद्देश्य से हुई कि घरेलू हिंसा का वास्तविक कारण क्या है। घरेलू हिंसा किन स्वजन–युग्म सम्बन्धियों के बीच है। इसका दुष्परिणाम किस प्रकार का है। क्या इससे परिवार टूट रहा है। या परिवार सक्रंमण की स्थिति में है। किस प्रकार से आने वाली पीढ़िया इस हिंसा से प्रभावित हो रही है। आदि का अध्ययन समाजशास्त्रीय शोध के दृष्टिकोण से एक उपयुक्त विषय समझा गया।

अध्ययन हेतु वाराणसी महानगर में दुर्गाकुण्ड स्थित कबीर नगर कालोनी एवं आस–पास की कालोनियों को चुना गया। इसलिए अध्ययन के निष्कर्षों की प्रासंगिकता नगरीय क्षेत्र में रहने वाले हिन्दू परिवारों के लिए हैं।

अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक है। हमारा प्रमुख समाजवैज्ञानिक उद्देश्य घरेलू हिंसा का व्याख्या मूलक विवरण एवं उसके परिणामों का तथ्यात्मक अध्ययन रहा है। इसके अर्न्तगत 50 हिन्दू परिवारों को 'लोक प्रसिद्धि' के आधार पर हिंसा में लिप्त पाया गया। इन्हीं परिवारों को अध्ययन के लिए चुना भी गया। इनमें से प्रत्येक घर में दो स्वजनों के मध्य पारिवारिक हिंसा का अवलोकन किया गया, ये स्वजन ही अध्ययन की इकाई थे। स्वजन युग्म के किसी एक सदस्य से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राथमिकता तथ्य प्राप्त किये गये। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों, नाते–रिश्तेदारों एवं मित्र पड़ोसियों से संकलित सूचनाओं के आधार पर घरेलू हिंसा का वैयक्तिक अध्ययन भी किया गया।

घरेलू हिंसा के कुछ स्वजन–युग्म प्रतिनिधि इस प्रकार थे–

1. पुरूष युग्मों के स्वजन–पिता–पुत्र, चाचा भतीजा और भाई–भाई।
2. स्त्री युग्मों के स्वजन–सास–बहु, जेठानी–देवरानी और ननद–भौजाई।
3. पुरूष –स्त्री युग्मों के स्वजन–पति–पत्नी, माता–पुत्र और देवर–भाभी।

घरेलू हिंसा के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। इसमें उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है– अध्ययन किये गये परिवारों में से पुरूष उत्तरदाता (60 प्रतिशत), स्त्री उत्तरदाता (40 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थे। ये महिलायें स्त्री एवं पुरूष दोनों युग्म स्वजन से सम्बन्धित हैं। सर्वाधिक उत्तरदाता युवा (25–35वर्ष) एवं प्रौढ़ावस्था (35–45वर्ष) के थे। ये अपने हितों तथा व्यवहारों की निजी अभिव्यक्ति से परिवार को प्रभावित करते थे। अधिकांश ईकाइयां पर्याप्त थी यद्यपि वे मध्यम एवं निम्न सामाजिक वर्गो के थे। अधिकांश उत्तरदाता उच्च जाति(40 प्रतिशत) एवं मध्यम जाति (35 प्रतिशत) के थे। अधिकांश उत्तरदाता स्त्री या पुरूष विवाहित थे एवं एकाकी परिवारों से सम्बन्धित थे।

इस नगरीय उत्तरदाताओं की व्यवसायिक संलग्नता उच्च सीमा तक की। इनकी व्यवसाय–सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, शिक्षण, वकालत एंव व्यापार (दुकान) थे। अधिकांश उत्तरदाताओं की मासिक आय रूपये 4000/–से अधिक थी। अधिकांश स्त्री–पुरूष स्वजन युग्म के परिवार के दोनों पक्ष किसी–न–किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्यो में संलग्न थे। ये सभी उत्तरदाता इस जिले एवं आस–पास के जिले के निवासी थे।

अभी तक के अध्ययनों से यह पता चलता है कि घरेलू हिंसा इन स्वरूपों में पायी जाती है–पति–पत्नी के बीच असामंजस्य, बच्चों का समुचित पालन–पोषण का अभाव (बच्चों के साथ सदस्यों का तिरस्कार, उदासीनता का व्यवहार) प्रस्थिति एवं भूमिका का संघर्ष, आर्थिक सुरक्षा एवं यौन सुख (विवाह संस्कार नहीं समझौता), आर्थिक हितों का टकराव, दहेज की प्रताड़ना (मृत्यु या आत्महत्या), परिवार के सदस्यों का आपस में मार–पीट करना (स्त्री–पुरूष), भ्रूण हत्या करना, सदस्यों को सम्पत्ति में हिस्सा देने से इनकार, विधवा एवं बृद्ध स्त्रियों से दुर्व्यवहार, भूमिका या उत्तरदायित्व का ठीक तरीके से निर्वाह न करना, मतैक्य का अभाव, नियंत्रण का अभाव और दैनिक क्रियाकलाप में मानसिक तनाव पैदा करता है।

घरेलू हिंसा की प्रक्रिया

घरेलू हिंसा की घटनायें समाज तथा परिवेश के अनुसार घटती है। तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि रक्त अथवा विवाह से जुड़े उन आत्मीय में हिंसा की घटनायें हुई, जिनकी पारिवारिक प्रस्थिति महत्वपूर्ण थी। सर्वाधिक हिंसाग्रस्त युग्म इस प्रकार थे– पति–पत्नि (30 प्रतिशत), भाई–भाई (22 प्रतिशत), सास–बहू (18 प्रतिशत), चाचा–भतीजा, पिता–पुत्र, जेठानी–देवरानी। इस प्रकार निकटतम सम्बन्धियों में व्याप्त हिंसा उनके बीच प्रेम, स्नेह एवं सहयोग के अभाव का सूचक है।

अधिकांश परिवार में अचल सम्पत्ति का मुख्य स्वरूप संयुक्त था। परिवार में हिंसा करने वाले सदस्यों का परिवार के अन्य सदस्यों ने इन स्वजनों के हिंसा का विरोध किया था, लेकिन 40 प्रतिशत परिवार के अन्य सदस्यों ने हिंसा को बढ़ावा दिया। हिंसा का स्वरूप जानने पर ज्ञात हुआ कि अधिकांश स्वजनों में आपस में उग्र कलहपूर्ण विवाद अशिष्ट व्यवहार या शीत युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है।

अधिकांश परिवारों बढ़ती स्वार्थ की मनोवृत्ति से स्वजन युग्मों में अपने–अपने हितों को लेकर टकराव तथा बच्चों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार पाया गया।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि परिवार में स्व–आधिपत्य को स्वजनों ने हिंसा एवं बल के द्वारा

स्थापित करने का प्रयास किया है।

घरेलू हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा जटिल एवं व्यक्तिगत घटना है, इनके कारणों की व्याख्या सुगमतापूर्वक सम्भव नहीं है। अध्ययन में यह पाया गया है कि प्रबल कारकों की अन्योन्यक्रिया ने पारिवारिक सहयोग के स्थान पर हिंसा को बढ़ावा दिया। स्वजनों के विकारपूर्वक व्यवहार को सदस्यों द्वारा सहन न कर पाना अनेक परिवारों में हिंसा का कारण है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं के स्वजनों ने परेशान करने वाला रूप अपनाया है। कुछ ने अत्यधिक मांगे प्रस्तुत कर दी तथा कईयों ने आत्मीयों के प्रति उपेक्षा दिखायी। व्यवहार की इन विकृतियों ने एक आत्मीय को दूसरे से दूर कर दिया। अध्ययन में पाये गये सर्वाधिक हिंसाग्रस्त स्वजन–युग्म स्त्री–पुरूष में हिंसा का कारण परिवार में वर्चस्वता की लड़ाई है, जिसकी परिणति सम्बन्धों में मौखिक एवं मानसिक हिंसा के साथ–साथ मार–पीट भी शामिल था।

घरेलू हिंसा का एक कारण संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्सेदार सदस्यों के हितों का आपसी टकराव था । वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन से ज्ञात हुआ कि संयुक्त सम्पत्ति का प्रमुखकर्ता अपने निजी हितों या कुछ सदस्यों के हितों को ही प्रमुखता देता है। पारिवारिक हितों की उपेक्षा करता है जिससे संयुक्त सम्पत्ति का विकास ठीक न होने के साथ–साथ उसका क्षरण हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप सदस्यों के सम्बन्धों में गहरी दरार बढ़ रही है।

संयुक्त परिवार के 'कुछ' अप्रिय निर्णय जिसे सभी को मानना पड़ा जिसकी परिणति कालान्तर में सदस्यों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने ले लिया। जिसके परिणामस्वरूप परिवार में हिंसा में वृद्धि हुई। स्त्री स्वजनों में अधिकरत हिंसा प्रतिदिन के घरेलू काम–काज को लेकर हुई। जिसके साथ ही स्त्री स्वजनों में दहेज को लेकर अधिकांशतः सास–बहू में लड़ाई तो कभी–कभी पति–पत्नी के सम्बन्धों मे तनाव आया।

घरेलू हिंसा का एक कारण सदस्यों की अन्य सदस्यों के प्रति अपनी भूमिका को ठीक से नही निभाना है। घर और बाहर उत्तरदायित्व निभाने के कारण पारिवारिक सदस्यों के साथ सहयोग का अभाव भी एक कारण था। अध्ययन में 80 प्रतिशत उत्तरदाता अत्यधिक भूमिका मांगों से त्रस्त थे तथा 70 प्रतिशत ने अपनी घरेलू भूमिकाओं को ठीक से नहीं निभाया। इसी प्रकार 60 प्रतिशत स्वजनों ने परिवार में अपनी भूमिकाओं को नजर अंदाज कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों ने तो आज भौतिक उन्नति के तो प्रयास किया प्रदत्त सुविधाओं के अलावा भी इनमें अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है। जिसके परिणाम स्वरूप इनकी विभिन्न भूमिका दशाओं तथा पारिवारिक दायित्वों की प्रत्याशाओं असामंजस्य हो गया जिसकी परिणति सदस्यों मे हिंसा कारण बना।

घरेलू हिंसा बढ़ाने मे वर्तमान में प्रचलित मादक द्रव्य व्यसन, शराब और सदस्यों के अनैतिक आचरण ने भी आग में घी का कार्य किया इसके साथ ही परिवार पर आये संकट और बृद्ध एवं अशक्त माता–पिता की देखभाल करने में सदस्यों द्वारा बरती जाने वाली उपेक्षा भी हिंसा का कारण था।

घरेलू हिंसा का एक कारण टेलीविजन के विभिन्न चैनेलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम भी थे। जिसमें दिखाये जाने वाले स्वजनों के आपसी हितों के संघर्ष उन्मुक्त यौन व्यवहार, विवाहोत्तर सम्बन्ध एवं हिंसा के विभिन्न रूप थे। इसी से प्रभावित होकर स्वजन आपस में हिंसा को बढ़ावा देते थे।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने में विवाहित स्त्री के स्वजनों (मायके वाले) एवं विवाहित पुत्री के पति भी हस्तक्षेप करते हैं। जो पूर्व में प्रचलित कहावत मामा एवं दामाद की परिवार में वर्चस्वता रहती है को भी सिद्ध करती है। इन सभी ने घरेलू हिंसा में किसी एक पक्ष का उत्साह वर्धन किया। इसके साथ ही स्वजनों की मित्र एवं पड़ोसी भी हिंसा को बढ़ावा देते हैं।

समाधान

पारिवारिक हिंसा ने सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके समाधान हेतु सुलह समझौता के प्रयास बहुत कर नहीं रहे। केवल 20 प्रतिशत हिंसा के मामलों में हिंसा करने वालों ने सुलह समझौता को सामयिक रूप से माना, लेकिन कुछ समयान्तराल के बाद पुनः घटना को दोहराया गया। 16 प्रतिशत परिवारों के स्वजनों ने हिंसा के समाधान के लिए अदालती कार्यवाही की। इन मुकदमों में सम्पत्ति विवाद भी थे। जिनमें दीवानी के साथ–साथ मार–पीट के फौजदारी के मुकदमें भी चल रहे है। पति – पत्नी में भी विवाह विच्छेद की कार्यवाही के अलावा सम्पत्ति विवाद भी है। कुछ दम्पत्तियों ने गुजारे भत्ते के लिए भी दावा किया है। वैयक्तिक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश स्वजन हिंसा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते है न कि समाधान में। इसलिए ये घटने की अपेक्षा दिनोंदिन और तेजी से बढ़ती जा रही है।

परिणाम

घरेलू हिंसा का मुख्य कारण स्वजनों मे 'पारिवारिक अलगाव' और सम्पत्ति का बटवारा है। अधिकांश 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घरेलू हिंसा से स्वजन–युग्म' भाई–भाई, पिता–पुत्र, चाचा– भतीजा एवं पति–पत्नी' में पारिवारिक अलगाव हो गया। अधिकांश उत्तरदाताओं में हिंसा के परिणामस्वरूप ही परिवार में संयुक्त सम्पत्ति का बटवारा भी हुआ। इन सभी की परिणति से परिवार मे प्रेम,स्नेह, सहयोग एवं आत्मीय अर्न्तसम्बन्ध कटु हो गये। 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के नातेदारी सम्बन्ध टूट गये और जो सम्बन्ध रहे भी वह केवल औपचारिक ही रहे।

घरेलू हिंसा ने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और अवलम्बन व्यवस्था पर भी ठेस पहुँचाया। इसकी एक ओर परिणति एकाकी परिवार में पति–पत्नी के सम्बन्धों में विखराव आया जिससे बच्चों का हिंसा काल में सामाजीकरण ठीक ढंग से न होने से उनका संतुलित व्यक्तित्व निर्माण में बाधा पड़ी। इससे परिवार की दायित्व वहन क्षमता भी घट गयी।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि नगरीय क्षेत्रों में घरेलू हिंसा से परिवार को संगठित करने वाला आधार प्रेम, स्नेह, सहयोग, त्याग, विश्वास हितों एवं उददेश्यों की एकता तथा नियत्रंण की प्रधानता के स्थान पर परिवार के सदस्यों मे तनाव, मतैक्य का अभाव और नियंत्रण की कमी पायी जा रही है, जिससे परिवार का अलगाव हो रहा है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चों का हिंसा काल मे सामाजीकरण ठीक से न होने से बच्चों में भी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो आने वाले समय में परिवार के लिए शुभ संकेत नही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बघेल, डी.एस –अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली 2003,पृ 547
2. आहूजा, राम एवं अहूजा– विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स,जयपुर 1998, पृ 239, 240
3. सामाजिकी, खण्ड –11, मार्च 2012
4. आहूजा, राम– सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1994, पृ 240
5. आहूजा, राम– भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2002, पृ 135,136